न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2020 दायरा दिनांक : 24.12.2019

उनवान

1– महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण, आयु 38 वर्ष, जाति रेगर, निवासी रेगरों के रामदेव जी के मन्दिर के पास हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– जीतमल पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण, आयु 35 वर्ष, जाति रेगर, निवासी रेगरों के रामदेव जी के मन्दिर के पास हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– गीता बाई पत्नी स्व. श्री प्रेम नारायण, आयु 66 वर्ष, जाति रेगर, निवासी रेगरों के रामदेव जी के मन्दिर के पास हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र श्री रत्तीलाल, जाति रेगर, निवासी हरीगढ हाल निवासी धाकड़ छात्रावास के पास अम्बेडकर कालोनी खण्डिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –

1/1– ओम प्रकाश पुत्र श्री देवीलाल, जाति रेगर, निवासी हरीगढ हाल निवासी धाकड़ छात्रावास के पास अम्बेडकर कालोनी खण्डिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/2– प्रेम बाई पत्नी श्री देवीलाल, जाति रेगर, निवासी हरीगढ हाल निवासी धाकड़ छात्रावास के पास अम्बेडकर कालोनी खण्डिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ, तहसील खानपुर

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सम्पूर्णानन्द अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम प्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.12.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 763/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गम धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल आर एक्त के अन्तर्गत अपीलांट प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 व रेस्पोडेंट कम 2 व 3 के विरूद्ध इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की पुश्तैनी आराजी ग्राम हरिगढ़ में आराजी खसरा नम्बर 236/1685 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 236/1693 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 2 किता की 11 बीघा 1 बिस्वा स्थित है । यह आराजी वादी के पिता प्रतिवादी कम 1 लगायत 2 के दादा व प्रतिवादी कम 3 के ससुर के खाते में आयी है । पारिवारिक शजरे के अनुसार रत्तीलाल के 3 पुत्र व एक पुत्री व पत्नी वारिस है जिसमें रत्तीलाल का पुत्र लटूरलाल कुंवारा फौत हो गया पुत्री चन्द्रीबाई व पत्नी गुलाब बाई फौत हो चुके हैं पुत्र प्रेमनारायण भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 हैं । रेस्पोडेंट ने अपने वाद में यह कथन किया कि वाद में वर्णित सजरे के अनुसार वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का हिस्सा

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1/2 बनता है और मौके पर वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत का हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त है । ग्राम पंचायत हरिगढ द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से मिलीभगत कर प्रतिवादी के पक्ष में 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया और वादी के पक्ष में 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार टीनेन्स घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अदम हाजरी अदम पैरवी में दावा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं दस्तावेजों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अदम हाजरी अदम पैरवी में दावा खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना कोई नोटिस जारी किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.12.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई के डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय में चार बार दावा खारिज हुआ वापस रेस्टोरेशन हुआ लेकिन नोटिस जारी नहीं हुआ । दिनांक 28.07.2015 को दावा खारिज कर दिया तथा दिनांक 10.08.2015 को प्रकरण पुनः दर्ज कर

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

लिया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का नोटिस नहीं मिला । दिनांक 20.05.2016 को फिर खारिज कर दिया लेकिन पुनः दिनांक 8.01.2016 को दर्ज कर दिया । दिनांक 20.05.2016 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगाई गई जिसका नोटिस नहीं मिला । दिनांक 29.06.2016 को फिर खरिज कर दी गई दिनांक 25.09.2017 को फिर रेस्पोडेंट को नोटिस नहीं जारी किया । हमे सुनवायी का अवसर नहीं दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में (1993) AIR (SCW) : (1994) AIR (SC) : (1994) 1 BLJud 520 :(1993) Sup 3 SCC 406 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वाद में सजरा बना हुआ है । रत्तीलाल के तीन पुत्र एक पुत्री व पत्नी है । लटूर लाल कुवारा फौत हुआ, देवीलाल जीवित के अलावा शेष फौत हो गये हैं । ग्राम पंचायत ने इंतकाल नम्बर 1243 खोला । प्रेमनारायण के वारिस महेन्द्र कुमार, जीतमल व. गीताबाई हैं । देवीलाल व प्रेमनारायण के 1/2, 1/2 हिस्सा, पंचायत 2/3 प्रेमनारायण के पुत्रों जीतमल व महेन्द्र को देवीलाल की 1/3 हिस्सा दे दिया । ये पंचायत के अधिकार में नहीं है फिर हमने 1/2 हिस्से हेतु दावा किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर 1/2, 1/2 हिस्सा कर दिया । कोर्ट की डिक्री सही है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट रहते हैं हमे सुनवासी का अवसर नहीं दिया दिनांक 3.11.2014 को वादी व प्रतिवादी उपस्थित । दिनांक 28.07.2015 को दावा अदम हाजरी में खारिज वापस नम्बर पर लिया । दिनांक 20.05.2016 को अदम हाजरी में खारिज । सी पी सी में स्पष्ट है कि 90 दिन में जवाब देना पडेगा जवाब इन्होंने दिया ही नहीं दिनांक 29.06.2017 को खारिज कर दिया। फिर रेस्टोरेशन हुआ दिनांक 25.05.2015 को नोटिस दिया जिस पर प्राप्ति महेन्द्र कुमार की है । 20 मई 2016 को फिर नोटिस दिया है दिनांक 20.06.2018 को फिर नोटिस दिया है । इस आधार पर डिक्री

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

खारिज करवाना चाहते हैं। जवाबदावे के कई अवसर दिये लेकिन पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री की पालना हो चुकी है । दोनों के नाम आराजी बराबर दर्ज है । दोनों वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादीगण को तलब किये जाने का उल्लेख है । अपीलांट के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया । प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सूचना के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । दिनांक 03.11.2014 से आधे प्रतिवादी के आग्रह पर पर्याप्त अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 18.10.2016 को प्रतिवादी व इनके अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । पत्रावली लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत वादी व प्रतिवादीगण को दिनांक 25.05.2015, 20.05.2016, 29.06.2017 व 20.06.2018 के नोटिस भी सलंग्न है । अतः अपीलांट का यह कहना कि हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया उचित नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावे का अवसर भी दिया गया लेकिन वाद में अपीलांट द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द कर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की गई । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकूल है इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सत्यमेव जयते

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा